

www.sharmaacademy.com | 01177426

शर्मा एकेडमी®

an Institute for IAS/IPS, MPPSC

MPPSC Pre Hindi Medium



Awarded for
Result Oriented Academy
For UPSC/MPPSC-2018
by Kamal Nath (CM MP)

Awarded for
Leading E-Learning
Academy of MP-2018
by Shivraj Singh Chouhan (CM MP)



इकाई		पेज नं.
इकाई-1	मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य	2-23
	● मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश।	
	● स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान।	24-46
	● मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएँ एवं स्थापत्य कला।	47-57
	● मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ।	58-65
	● मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक-साहित्य।	66-75
	● मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ।	76-82
	● मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल।	83-92
● मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व।	93	

इकाई		पेज नं.
इकाई-2	भारत का इतिहास	
	● प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ, घटनाएँ एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएँ।	2-90
	● 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन।	91-100
	● स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।	101-120
● स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन।	121-122	

इकाई		पेज नं.
इकाई-3	मध्य प्रदेश का भूगोल	
	● मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ।	2-15
	● मध्य प्रदेश की जलवायु।	16-17
	● मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन।	18-23
	● मध्य प्रदेश में परिवहन।	24-28
	● मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएँ।	29-35
● मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग।	36-49	

इकाई		पेज नं.
इकाई-4	भारत एवं विश्व का भूगोल	2-11
	• भौतिक भूगोल – भौतिक विशेषताएँ और प्राकृतिक प्रदेश।	
	• प्राकृतिक संसाधन – वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/सफारी।	12-21
	• सामाजिक भूगोल – जनसंख्या संबंधी/ जनांकिकी (जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ)।	22-25
	• आर्थिक भूगोल – प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन (उद्योग, यातायात के साधन)।	26-36
	• विश्व के महाद्वीप/देश/महासागर/नदियाँ/पर्वत।	37-58
	• विश्व के प्राकृतिक संसाधन।	59
• परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत।	60-67	

इकाई		पेज नं.
इकाई-5	(अ) राज्य की संवैधानिक व्यवस्था-	
	• मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था (राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय)।	2-7
	• मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था।	8-15
	(ब) राज्य की अर्थ व्यवस्था-	16-19
	• मध्य प्रदेश की जनानिकि एवं जनगणना।	
	• मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास।	20-24
• मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग।	25-33	
• मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ।	34-45	

इकाई		पेज नं.
इकाई-6	भारत का संविधान शासन प्रणाली एवं अर्थ व्यवस्था	
	• भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 ।	2-6
	• संविधान सभा ।	7-9
	• संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद ।	10-22
	• नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत ।	23-29
	• संवैधानिक संशोधन ।	30-35
	• सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था ।	31-36
	• भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात ।	37-47
• वित्तीय संस्थाएँ- रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, SEBI/NSE/गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ।	48-54	

इकाई		पेज नं.
इकाई-7	विज्ञान एवं पर्यावरण	
	• विज्ञान के मौलिक सिद्धांत ।	1
	• भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ।	2-9
	• पर्यावरण एवं जैव विविधता ।	10-34
	• पारिस्थितिकीय तंत्र ।	35-36
	• पोषण, आहार एवं पोषक तत्व ।	37-46
	• मानव शरीर संरचना ।	47-79
	• कृषि उत्पाद तकनीक ।	80-85
	• खाद्य प्रसंस्करण ।	86-93
	• स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम ।	94-107
• प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएँ एवं प्रबंधन ।	108-126	

इकाई		पेज नं.
इकाई-8	अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ	
	• महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान।	2
	• महत्वपूर्ण घटनाएँ।	23
	• भारत एवं मध्यप्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएँ, खेल प्रतियोगिताएँ एवं पुरस्कार।	40

इकाई		पेज नं.
इकाई-9	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	
	• इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।	2-3
	• रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं सायबर सिक्यूरिटी।	4-10
	• ई-गवर्नेन्स।	11-14
	• इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स।	15-32
	• ई-कॉमर्स।	33-36

इकाई		पेज क्रमांक
इकाई-10	राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक संस्थाएँ	2-5
	• भारत निर्वाचन आयोग।	
	• राज्य निर्वाचन आयोग।	6-7
	• संघ लोक सेवा आयोग।	8-11
	• मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग।	12-14
	• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।	15-19
	• नीति आयोग।	20-23
	• मानवाधिकार आयोग।	24-26
	• महिला आयोग।	27-28
	• बाल संरक्षण आयोग।	29-31
	• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग।	32-36
	• पिछड़ा वर्ग आयोग।	37-38
	• केंद्रीय सूचना आयोग।	39-41
	• केंद्रीय सतर्कता आयोग।	42-45
	• राष्ट्रीय हरित अधिकरण।	46-51
• खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि।	52-55	

ई-गवर्नेन्स | (e-Governance)

ई-प्रशासन का अर्थ (Meaning of e-Governance)

ई-प्रशासन में 'ई' शब्द का आशय 'इलेक्ट्रॉनिक' से है। इस प्रकार ई-प्रशासन या इलेक्ट्रॉनिक-प्रशासन सरकारी कार्यचालन में सूचना एवं संचार तकनीक के अनुप्रयोग को इंगित करता है। विश्व बैंक के अनुसार, ई-प्रशासन सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना तकनीकों (जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कम्प्यूटिंग) के प्रयोग का सूचक है और यह नागरिकों, व्यापारों और अन्य सरकारी अंगों के साथ सम्बन्धों को रूपान्तरित करने की क्षमता रखता है। ई-प्रशासन मूल रूप से स्मार्ट (SMART) शासन की दिशा में एक कदम है जो सरल (SIMPLE), नैतिक (MORAL), उत्तरदायी (ACCOUNTABLE), अनुक्रियात्मक (RESPONSIVE) तथा पारदर्शी (TRANSPARENT) शासन का सूचक है।

1. **सरल** – सरल शासन का अर्थ सूचना और संचार तकनीक के प्रयोग द्वारा सरकारी नियमों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण है, जिसके द्वारा एक प्रयोक्ता अनुकूल सरकार उपलब्ध कराई जाती है।
2. **नैतिक** – नैतिक शासन राजनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र में नैतिक मूल्यों की एक समग्र नई प्रणाली के उदय का सूचक है। तकनीकी हस्तक्षेप भ्रष्टाचाररोधी एजेन्सियों, पुलिस एवं न्यायपालिका इत्यादि की क्षमता में सुधार करता है।
3. **उत्तरदायित्व** – प्रभावी प्रबन्धन सूचना प्रणाली एवं निष्पादन मापन कार्यतंत्र के डिजाइन, विकास एवं क्रियान्वयन को बढ़ावा देकर लोक सेवाकर्मियों की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है।
4. **अनुक्रिया** – सेवा आपूर्ति की गति को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाकर व्यवस्था को अधिक अनुक्रियात्मक बनाया जाता है।
5. **पारदर्शी** – अब तक सरकारी दस्तावेजों में परिसीमित सूचना को लोगों तक पहुँचाकर प्रक्रियाओं एवं कार्यों को पारदर्शी बनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक अभिकरणों की अनुक्रियाओं में समानता और कानून का शासन परिलक्षित होता है।

भारत में सफल इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के लिए रिपोर्ट में कई आवश्यक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है –

1. व्यापक स्तर पर कम्प्यूटर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की क्षमता का विकास।
3. विभिन्न प्रशासकीय ईकाइयों की मानसिकता में परिवर्तन का प्रयास।
4. विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का मानकीकरण।
5. पर्याप्त अवसंरचनाओं का निर्माण और विकास।
6. बेहतर प्रशासन के लिए ज्ञान के नेटवर्क का विस्तार।

भारत में कार्यरत् राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्य बल ने नागरिक-सूचना प्रौद्योगिकी अंतःफलक (Citizen- IT Interface) की पहचान कर समाज के विभिन्न वर्गों एवं स्तरों में प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया है। कार्य समूह ने इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन एवं अभिसरण तकनीकों के अनुप्रयोगों के संदर्भ में विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान किये हैं।

इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है—

1. सूचना विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से सरकार द्वारा अभिसरण के अनुप्रयोगों की संवृद्धि के लिए एक समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करने को प्राथमिकता।
2. तकनीकों के हस्तांतरण तथा किन्ही विशेष परिस्थितियों में ही प्रौद्योगिकी के विकास में सार्वजनिक धन के प्रयोग की वांछनीयता।
3. सरकार द्वारा उच्च बैडविथ तथा बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कार्यरत् संस्थाओं का सुदृढीकरण।
4. विभिन्न सरकारी परियोजनाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियों का परीक्षण।
5. सार्वजनिक धन से क्रियान्वित परियोजनाओं के तहत अंकीय विभेद को कम करने का प्रयास।

ई-प्रशासन में अन्तर्क्रियाएँ (Interactions in e-Governance)

ई-प्रशासन में अन्तर्क्रियाओं के चार प्रकार होते हैं- सरकार की नागरिकों के साथ अन्तर्क्रिया (जी टू सी), सरकार की व्यापार के साथ अन्तर्क्रिया (जी टू बी), सरकार की सरकार के साथ अन्तर्क्रिया जो कि अन्तर्क्रिया सम्बन्ध के रूप में होती है (जी टू जी) तथा सरकार की कर्मचारियों के साथ अन्तर्क्रिया (जी टू ई)। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने "प्रमोटिंग ई-गवर्नेंस: द स्मार्ट वे फॉरवर्ड" (2008) नामक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में ई-प्रशासन में अन्तर्क्रियाओं के उपरोक्त चार प्रकारों को निम्नलिखित रूप में विश्लेषित किया है-

1. **जी 2 सी (सरकार की नागरिकों के साथ अन्तर्क्रिया)** - इस मामले में सरकार और नागरिकों के बीच एक अन्तराफलक निर्मित किया जाता है, जो नागरिकों को लोक सेवाओं की एक व्यापक शृंखला की प्रभावी आपूर्ति के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह एक ओर सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच को विस्तारित करता है जबकि दूसरी ओर सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुधारता है। यह नागरिकों को विकल्प प्रदान करता है कि वे सरकार के साथ कब अन्तर्क्रिया करें (एक दिन में 24 घंटे या एक सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध होने पर), सरकार के साथ कहाँ से अन्तर्क्रिया करें (जैसे कि सेवा केन्द्र, मानवरहित बूथ या अपने घर/कार्यस्थल से), और सरकार के साथ कैसे अन्तर्क्रिया करें (जैसे कि इन्टरनेट, फ़ैक्स, टेलीफोन, ई-मेल या आमने-सामने इत्यादि के द्वारा)। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार को नागरिकों के प्रति मित्रावत् बनाना है।
2. **जी 2 बी (सरकार की व्यापार के साथ अन्तर्क्रिया)** - यहाँ ई-प्रशासन के औजारों का प्रयोग उत्पाद और सेवायें उपलब्ध कराने वाले व्यापारिक समुदाय को सरकार के साथ अबाधित अन्तर्क्रिया करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सौदेबाजी करते समय लाल फीताशाही में कटौती करना, समय बचाना, कार्यचालन लागत को घटाना तथा एक अधिक पारदर्शी व्यापारिक वातावरण का निर्माण करना है। जी टू बी पहल विनिमयात्मक हो सकती हैं, जैसे- लाइसेंस, परमिट, राजस्व संग्रह एवं दलाली इत्यादि में। ये प्रोत्साहन मूलक भी हो सकती हैं, जैसे- व्यापार, पर्यटन और निवेश इत्यादि में। ये उपाय व्यापारों के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं और व्यापारिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की क्षमता पैदा करते हैं।
3. **जी 2 जी (सरकार की सरकार के साथ अन्तर्क्रिया)** - इस मामले में सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग न केवल सरकारी सत्ताओं के कार्यचालन में निहित सरकारी प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना के लिए किया जाता है बल्कि अलग-अलग सत्ताओं के बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार की अन्तर्क्रिया केवल सरकार के क्षेत्र के भीतर ही होती है और यह क्षैतिज (जैसे कि अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के बीच के साथ-साथ एक संगठन के भीतर विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के बीच) अथवा ऊर्ध्वाधर (जैसे कि राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय एजेंसियों के बीच के साथ-साथ एक संगठन के भीतर अलग-अलग स्तरों के बीच) दोनों हो सकती हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य दक्षता, निष्पादन और निर्गत को बढ़ाना है।
4. **जी 2 ई (सरकार की कर्मचारियों के साथ अन्तर्क्रिया)** - सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता होती है और किसी भी संगठन की तरह इसे भी अपने कर्मचारियों के साथ नियमित आधार पर अन्तर्क्रिया करनी होती है। यह अन्तर्क्रिया संगठन और कर्मचारियों के बीच एक दो-मार्गी प्रक्रिया होती है। सूचना एवं संचार तकनीक के प्रयोग से ये अन्तर्क्रियाएँ तीव्र और प्रभावी बन जाती हैं और साथ ही कर्मचारियों का संतुष्टि स्तर भी बढ़ जाता है।

ई-प्रशासन के लाभ (Benefits of e-Governance)

ई-प्रशासन के लाभ (या लक्ष्य) निम्नलिखित हैं-

1. नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति
2. व्यापार और उद्योग के साथ उन्नत अन्तर्क्रियाएँ
3. सूचना तक पहुँच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण
4. अधिक दक्ष सरकारी प्रबन्धन
5. प्रशासन में अल्प-भ्रष्टाचार
6. प्रशासन में पारदर्शिता की वृद्धि
7. नागरिकों और व्यापारों के लिए व्यापक सुविधा

8. लागत, कटौती एवं राजस्व वृद्धि
9. सरकार की वैधता में वृद्धि
10. सपाट संगठनात्मक संरचना (अल्प पदानुक्रमिक)
11. प्रशासनिक प्रक्रिया में लाल फीताशाही और कागजी कार्यवाही में कटौती
12. शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर नियोजन एवं समन्वय
13. सुशासन प्रक्रिया में व्यापक नागरिक भागीदारी
14. लोक प्राधिकारियों एवं नागरिक समाज के बीच सम्बन्धों में सुधार
15. प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना

ई-प्रशासन पहल (e-Governance Initiatives)

भारत में ई-प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जो कि इस प्रकार हैं-

1. सूचना तकनीक एवं सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यदल 1998 में गठित किया गया।
2. केन्द्र में सूचना तकनीक मंत्रालय का गठन 1999 में किया गया।
3. वर्ष 2000 में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में ई-प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए एक बारह सूत्रीय न्यूनतम एजेण्डा तैयार किया गया।
4. सूचना तकनीक अधिनियम 2000 पारित किया गया। इस अधिनियम को 2008 में संशोधित किया गया।
5. सेमी-कंडक्टर इटीग्रेटेड सर्किट ले-आउट डिजाइन एक्ट, 2000 पारित किया गया।
6. भारत में सूचना तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए एक सामान्य कार्य योजना तक पहुँचने हेतु वर्ष 2000 में राज्यों के सूचना तकनीक मंत्रियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
7. वर्ष 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (एनआईएसजी) की स्थापना हैदराबाद में की गयी।
8. राज्य सरकारों ने ई-प्रशासन परियोजनाएँ शुरू कीं, जैसे- ई-सेवा (आन्ध्र प्रदेश), भूमि (कर्नाटक), ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश), लोकवाणी (उत्तर प्रदेश), फ्रेंड्स (केरल), ई-मित्र (राजस्थान) इत्यादि।
9. वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एनईजीपी) को मंजूरी दी गयी। इसमें 27 मिशन मोड परियोजनायें (एमएमपी) तथा 8 समर्थन घटकों को केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकार के स्तरों पर क्रियान्वित किया जाना है।
10. नवम्बर 2010 में ई-प्रशासन हेतु खुले मानदंडों पर एक राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया गया। यह ई-प्रशासन समाधानों के निरन्तर, मानकीय और सुधारात्मक क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अन्तर्गत मिशन मोड परियोजनायें -

क्र.सं.	केन्द्र सरकार श्रेणी (9)	राज्य सरकार श्रेणी (11)	एकीकृत सेवार्य श्रेणी (7)
1.	आयकर	भू-अभिलेख	ईडीआई (ई-वाणिज्य)
2.	पासपोर्ट, वीजा और प्रवासन	सड़क परिवहन	ई-विज
3.	एमसीएम 21	संपत्तिकरण पंजीकरण	सीएससी
4.	बीमा	कृषि	इंडिया पोर्टल
5.	राष्ट्रीय नागरिक डाटाबेस और यूआईडी परियोजना	कोषागार	ईजी गेटवे
6.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	नगर पालिकायें	ई अदालतें
7.	पेंशन	ग्राम पंचायतें	ई-प्रॉक्यूरमेंट
8.	बैंकिंग	वाणिज्यिक कर	
9.	ई कार्यरत	पुलिस (पहले संघशासित क्षेत्रों की)	
		रोजगार कार्यालय	
		ई-जिला	

राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अन्तर्गत समर्थन घटक

क्र.सं.	समर्थन घटक
1.	मूल नीतियाँ
2.	मूल आधार संरचना (स्वान, निकनेट, एसडीसी इत्यादि)
3.	समर्थन आधार संरचना (सीएससी इत्यादि)
4.	तकनीकी सहायता
5.	शोध और विकास
6.	मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण
7.	जागरूकता और मूल्यांकन
8.	संगठन संरचनायें

ई-प्रशासन हेतु खुले मानकों पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Open Standards for E-Governance)

भारत सरकार ने ई-प्रशासन के विकास एवं क्रियान्वयन को गति देने के लिए तथा देश के भीतर जीटूजी, जीटूबी, जीटूई और जीटूसी सेवाओं की शुरुआत के लिए सही वातावरण के निर्माण हेतु प्रमुख पहलकारी कदम उठाये हैं।

ई-प्रशासन हेतु खुले मानकों पर एक राष्ट्रीय नीति नवम्बर 2010 में अधिसूचित की गयी थी। यह ई-प्रशासन समाधानों के सतत्, मानकीकृत एवं भरोसेमंद क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों का एक समुच्चय उपलब्ध कराती है। इसे बहुल अभिकरणों द्वारा विकसित विभिन्न ई-प्रशासन समाधानों के निर्बाध अन्तरपरिचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य उपलब्ध तकनीकी विकल्पों को सुधारना तथा विक्रेता बंधन से बचना है।

यह नीति ई-प्रशासन हेतु प्रयुक्त सभी प्रणालियों पर लागू होती है। किसी भी नई ई-प्रशासन प्रणाली (सभी अन्तर्विभागीय एवं अन्तःविभागीय प्रणालियों सहित) और सरकारी से लेकर सार्वजनिक (व्यापारों सहित) प्रणालियों तक में प्रयुक्त होने वाले सभी मानकों को इस नीति का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। विरासत प्रणालियों के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विरासत प्रणाली से अन्य प्रणालियों के साथ अन्तराफलक को इस नीति का अनिवार्य अनुपालन करना चाहिए। मानकीकरण के लिए जिम्मेदार निकाय या अभिकरणों को मानकों का विकास एवं अंगीकरण करते समय इस नीति के सिद्धान्तों को लागू करना होगा।

भारत सरकार नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक डोमेन (क्षेत्र) के भीतर एक निर्दिष्ट परियोजन के लिए एकल एवं रॉयल्टी मुक्त खुले मानक को धीरे-धीरे स्वीकृत करेगी।

एक पहचाने गये मानक को एक खुले मानक के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह निम्नलिखित कसौटियों पर खरा उतरता है-

1. पहचाने गये मानक का विशेषीकरण दस्तावेज एक नाममात्र के शुल्क के साथ या निःशुल्क उपलब्ध होगा।
2. पहचान प्राप्त मानक को लागू करने के लिए अनिवार्य पेटेंट दावों को मानक के जीवनकाल के लिए एक रॉयल्टी मुक्त आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. पहचान प्राप्त मानक एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा अंगीकृत और कायम रखे जायेंगे जहाँ सभी अंशधारक एक पारदर्शी सहयोगी एवं साझा तरीके से भागीदारी का विकल्प चुन सकेंगे।
4. पहचाने गये मानक जहाँ तक संभव हो वहाँ तक पुनर्प्रवाही रूप से खुले रहेंगे।
5. पहचाने गये मानक तकनीकी रूप से तटस्थ विशेषीकरण को दर्शायेंगे।
6. पहचाने गये मानक सभी भारतीय राजकीय भाषाओं को समर्थन प्रदान करने में सक्षम होंगे।

